

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L0021211**

मेसर्स एम.पी. आईरन एण्ड स्टील कम्पनी,  
मालनपुर स्टील लिमिटेड,  
रजि. ऑफिस – इण्डस्ट्रियल एरिया,  
पोस्ट ऑफिस – बिरलाग्राम,  
ग्वालियर – 474004 (म.प्र.)

— आवेदक

**विरुद्ध**

प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – 462023

— अनावेदकगण

**आदेश**

**(दिनांक 10.12.2013 को पारित)**

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक C003610 मेसर्स एम.पी. आईरन एण्ड स्टील कम्पनी विरुद्ध अधीक्षण यंत्री (सिटी सर्किल) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., ग्वालियर में पारित आदेश दिनांक 28. 02.2011 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक उपभोक्ता का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड में मिनी स्टील प्लाण्ट और रोलिंग मिल स्थापित करने के प्रयोजन से विद्युत की सतत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बार्ड से दो पृथक—पृथक करार किया था। प्लाण्ट में अक्टूबर 1998 में अग्नि दुर्घटना होने के कारण प्लाण्ट जल गया था तथा विद्युत आपूर्ति किए जाने के लिए स्थापित सब स्टेशन भी जल गया था तथा अक्टूबर 1998 से विद्युत की आपूर्ति अन्तिम रूप से बन्द कर दी गई थी। प्लाण्ट का चलाया जाना संभव नहीं था, अतः उक्त प्लाण्ट को बीमारू प्लाण्ट समझा जाकर उक्त प्लाण्ट के परिसमापन (BIFR) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। BIFR के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान आवेदक कम्पनी की सहायता करने वाले पंजाब नेशनल बैंक को अनावेदक की ओर से कम्पनी के विरुद्ध लगभग रु. 55 करोड़ के भार की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत

थी। कम्पनी पर अनावेदक की कोई राशि बकाया नहीं थी अपितु कम्पनी की राशि अनावेदक पर बकाया थी, अतः आवेदक कम्पनी पर बकाया राशि का विवरण देते हुए अनावेदक से उक्त राशि को वापस दिलाए जाने का आवेदन उपभोक्ता द्वारा किया गया तथा निम्नलिखित प्रार्थना की गई :—

**Submission for urgent relief:**

Our case is coming up for hearing on 23/11/2010 for hearing in Hon'ble BIFR and it is requested that following decisions may kindly be taken by the Hon'ble Forum on urgent basis:

1. The Hon'ble MPERC Bhopal order dated 28/7/2010 in SMP no.21/2010 may be implemented by MPMKVVCL in our case and assessment of Jun 1998 bill in MSP may be withdrawn.
2. The order of Hon'ble M.P.High court order dated 23/3/2010 may kindly be implemented in our case and our application to reduce Contract demand from 84 MVA to 70 MVA may be allowed.
3. The cash security deposit raised in our billd of MSP & Rolling Mill as ASD, have been billed without our written conset and these may kindly be withdrawn as per MPEB circular. The MPEB has withdrawn all the security deposit billed from 1993 to 1996 in the past as per letter no Sr. AO/Gwl/HT/793 Dated 15/3/96 and all the surcharge collected has been refunded.
4. Our SVC credit of Rs.269.61 lacs (actual 434 lacs) may kindly be adjusted in full in our energy bill of Feb 1993 as explained above.
5. MPMKVVCL may kindly be directed that no late payment surcharge can be levied on disputed billing of MSP (lpf & TMC) and Rolling Mill (restriction on contract demand) and only principal to be appeared at the time of disconnection if any.
6. TOD facility in MSP may kindly be provided to us and billing may be revised accordingly.
7. The RRCof Rs.57.6 crores issued against us in MSP may kindly be kept in abeyance till the billing is finally settled.
8. MPMKVVCL may kindly be directed to provide us a tewmporary connection of 50 kva for providing L & F and water supply to Security Guards pending settlement of our refund issue. Our connection of Rolling Mill is already in credit as per MPMKVVCL record and billing of MSP is also in credit as per our record.
9. The MPMKVVCL may kindly be directed to get certification of M/s A.K. Surana & Assocaites (appointed by MPMKVVCL to carry out verification), chartered accountant firm about correct billing data and application of billing rules and decisions.
10. The MPMKVVCL may kindly be directed to keep in record that no payment was made by us towards disputed billing (LPF & TMC in MSP and Contract demand penalty in Rolling Mill) while preparing the billing statement.

11. We are having the refund claim of nearly Rs. 49.35 crores prepared on the basis of latest information/documents made available to us by MPSEB. It is requested to Hon'ble forum to kindly direct MPMKVVCL to verify our dates and point out if any discrepancy is there.

12. The MPEB vide its letter no. 04-01/S-335/1796 Dated 16/5/1989 has confirmed the Short circuit level of 800 MVA to 1200 MVA and voltage within permissible range of +10% to - 12.5/-and order of SVC to BHEL was placed on this basis. However, MPEB vide its letter no.04-01/PSP/2152 Datede 5/3/1997 has confirmed that Short circuit level was 757 MVA on 220 kv bus and 673 MVA on 132kv bus and hence the SCL could not be brought to level of 800 MVA even after 8 years from 1989. This is also evident from MPERC report that voltage level was also much lower than the prescribed limit of 12.5%. Therefore, it is requested to Hon'ble Commission to direct that the refund of our share of SVC i.e. Rs. 4.34 crores should be made by MPMKVVCL and LPF penalty in MSP should be withdrawn. The suitable compensation may also be granted to us for this will full act of MPEB.

13. Any other decision which the Hon'ble Forum considers necessary and urgent in nature.

3. अनावेदक ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु निम्नलिखित 3 बिन्दुओं के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति की :—

(प्रथम) उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन 1999 से अस्थाई रूप से भंग कर दिया गया था, उसे विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई है, अतः 12 वर्ष बाद उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जो शिकायत की गई है वह समय बाह्य है ।

(द्वितीय) शिकायत जिस व्यक्ति के द्वारा की गई है वह ऐसी शिकायत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिविल प्रक्रियां में संहिता के आदेश 29 नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत वाद उसके सचिव अथवा संचालक या कम्पनी के प्रमुख अधिकारी की ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।

(तृतीय) आवेदक कम्पनी से संबंधित विवाद बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल एवं फाईनेंशियल रिकान्स्ट्रेक्शन BIFR नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । सिक्क इण्डस्ट्रियल कम्पनी (स्पेशल प्रोवीजन) एकट 1985 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार यदि BIFR के समक्ष किसी कम्पनी के परिसमापन की कार्यवाही लंबित हो तो ऐसी कम्पनी के संबंध में उपभोक्ता की ओर से वांछित कार्यवाही ठर्ष्ट की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है ।

4. फोरम ने अनावेदक की ओर से की गई प्रारंभिक आपत्तियों में से द्वितीय और तृतीय आपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है। फोरम ने प्रथम आपत्ति पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता ने 12 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद प्रश्नगत् शिकायत प्रस्तुत की है, ऐसी स्थिति में ऐसी शिकायत समय बाह्य है और इस आधार पर उसकी शिकायत को निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता ने दिनांक 26.04.11 को विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उपभोक्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद विद्युत लोकपाल के द्वारा उक्त अभ्यावेदन में जो कार्यवाही की गई उसका विवरण आवेदक के बताये अनुसार निम्नानुसार है:

1. That, after hearing both the parties this Hon'ble Authority passed an order dated 16.06.2011 whereby this Hon'ble Authority directed the non-applicant for arranging reconciliation of accounts of both the parties and submit a report containing correct reconciled accounts within a month from the date of the order. Against this order a review was filed by the applicant before this Hon'ble Authority and the review was rejected by this Hon'ble Authority vide order dated 12.10.2011 holding that this Hon'ble Authority has no power of reviewing its own orders.
2. That, the applicant filed a fresh representation in regard with Rolling Mill connection in compliance of the order dated 16-06-2011 passed in case no. L002011.
3. That, after hearing both the parties in case No. L0021211 in regard with the Rolling Mill connection this Hon'ble Authority has passed an order dated 28.11.2011 whereby the maintainability was decided by this Hon'ble Authority in favour of the applicant, the issue regarding meter rent was decided in favour of the applicant at page 17, issue regarding interest in security benefit was decided in favour of the applicant at page 15, issue regarding cost of 220 KV Bay was finalized, grace period on arrears and applicability of TOD Tariff have been referred to the competent authority of Non-applicant to closely verify and submit the reply with copy to the applicant but the same is still pending.
4. That, against the orders dated 16.06.2011, 28.11.2011 and 19.01.2012 the non-applicant preferred Writ Petition No. 908/12 before the Hon'ble High Court and prayer for quashment of all the above mentioned 3 orders and for directing this Hon'ble Authority to decide the limitation issue first but the Hon'ble High Court vide order dated 16.02.2012 dismissed the writ petition filed by the non-applicant.
5. That, against the order dated 16.02.2012 the non-applicant preferred Writ Appeal No. 258/12 before the Honble Division Bench of the High Court. Said

writ appeal was also rejected by the Hon'ble division Bench vide order dated 20.06.2012 with a short direction that while deciding the representation this Hon'ble Authority shall also deal with the issue regarding limitation.

6. That, the applicant filed an application dated 12.09.2012 for directing the non-applicant to comply with the directions passed by this Hon'ble Authority in orders dated 16.06.2011 and 28.11.2011 which was marked as IA No. K. The non-applicant filed the reply of Annexure IA No. K on 11.07.2013.
7. That, the applicant filed Rejoinder dated 12.08.2013 before this Hon'ble Authority and the non-applicant filed additional reply dated 03.09.2013 to the rejoinder filed by the applicant on 12.08.2013.
8. That, an application dated 21.09.2012 was filed by the non-applicant with regard to the limitation issue which was marked as Annex. KH. A detailed reply dated 23.11.2012 was filed by the applicant. All the applications are pending.
9. That, the matter was heard by this Hon'ble Authority on 07.09.2013 and after hearing the parties to some extent this Hon'ble Authority was pleased to direct the parties to submit their statements with regard to the disputed points.
10. That, in compliance of the aforesaid order dated 07.09.2013 the applicant submitted its disputed points on 31.10.2013 whereas the non-applicant did not submit any statement. This Hon'ble Authority again heard the matter finally on 31.10.2013 and the arguments were repeated.

6. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश या शिकायत के निराकरण न किये जाने से व्यक्ति शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे फोरम के आदेश के विरुद्ध विद्युत लोकपाल के समक्ष निर्धारित कालावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विद्युत लोकपाल द्वारा अभ्यावेदन को उसी स्थिती में दर्ज किया जायेगा जब कि ऐसा अभ्यावेदन 60 दिवस की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया गया हो अथवा उसे क्षमा कर दिया गया हो तथा फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार देय राशि का कम से कम आधी राशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो। इस मामले में उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के विरुद्ध 60 दिवस के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था परन्तु उसके द्वारा विवादित राशि की आधी राशि जमा नहीं की गई थी इस कारण आदेश दिनांक 16. 11.11 को विद्युत लोकपाल ने उपभोक्ता को आधी राशि जमा करने का आदेश दिया था। उपभोक्ता द्वारा ऐसी राशि जमा न किये जाने के कारण उसका मूल अभ्यावेदन निरस्त किया गया था परन्तु

रोलिंग मिल के संबंध में पृथक से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। विद्युत लोकपाल ने यह भी आदेश दिया था कि वह ऐसे अभ्यावेदन के संबंध में मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाहन करेगा तथा इसी भूमिका के निर्वाहन करने की हैसियत से लोकपाल द्वारा दिनांक 02.09.12 के पूर्व भिन्न-भिन्न आदेश दिये गये थे, जिनमें से कुछ का पालन पक्षकारों द्वारा किया गया था तथा कुछ का पालन पक्षकारों की ओर से नहीं किया गया था। इस बीच दोनों पक्षकारों की ओर से नई-नई जानकारी समय-समय पर लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती रहीं हैं।

7. म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों की निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 (जिसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया गया है) के सुसंगत प्रावधान, जिनका पुनरीक्षण 2009 में किया गया है के विनियम क्रमांक 3.36, 3.37, 4.11 के प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि फोरम के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय 50 प्रतिशत की राशि उसी स्थिती में उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक होता है जब विवाद उपभोक्ता द्वारा देय राशि का हो। इस मामले में उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष जो शिकायत प्रस्तुत की थी उसकी अंतरवस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उसने अनावेदक, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी देयक को गुण-दोषों पर चुनौती नहीं दी है, अपितु उसने इस आशय की शिकायत है कि उसने अनावेदक, विद्युत वितरण कंपनी को समय-समय पर जो राशि अदा की थी उस राशि में से शिकायत में वर्णित राशि को वह वापस प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि अनावेदक, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उससे राशि अवैध रूप से वसूल की गई थी।

8. उपभोक्ता की उक्त शिकायत को देखते हुये उसके द्वारा फोरम के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करते समय विवादित राशि की आधी राशि जमा करना आवश्यक नहीं था क्योंकि उक्त राशि उपभोक्ता द्वारा देय नहीं थी।

9. विनियम क्र 4.11 के खण्ड (ग) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित विवाद का निराकरण करते समय विद्युत लोकपाल को प्रथमतः परामर्शदाता अथवा मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाहन करने का निर्देश दिया गया है, परन्तु उसके साथ यह प्रावधान भी दिया गया है कि उपभोक्ता के शिकायत की निराकरण करते समय अधिनियम के उपबंध उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों विनियमों तथा केन्द्र/राज्य सरकार अथवा आयोग द्वारा जारी सामान्य आदेशों अथवा निर्देशों को भी ऐसा लोकपाल ध्यान में रखेगा। विधि के उक्त उपबंधों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत लोकपाल उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत/अभ्यावेदन पर विचार करते समय मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाहन करने के पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन किसी विधि द्वारा वाधित तो नहीं है। इस मामले में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में उपभोक्ता की शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया था कि उसकी ओर से प्रस्तुत

शिकायत 12 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अत्याधिक देरी से प्रस्तुत शिकायत समयबाधित है अतः ऐसी शिकायत का निराकरण फोरम द्वारा नहीं किया जाएगा। फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का संज्ञान लेने के पूर्व विद्युत लोकपाल से यह अपेक्षित था कि इस बिन्दु पर सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचार किया जाये कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत समयबाह्य है अथवा नहीं? और यदि उपभोक्ता की शिकायत प्रथम दृष्टया समय बाह्य नहीं पायी जाती तो अभ्यावेदन को संज्ञान में लेने के पश्चात विद्युत लोकपाल द्वारा मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाहन किया जा सकता था लेकिन विद्युत लोकपाल द्वारा ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। अतः मध्यस्थ की भूमिका अदा करने, 50 प्रतिशत राशि जमा न करने पर उपभोक्ता के अभ्यावेदन को निरस्त करने, दो संविदा में से एक संविदा के संबंध में पृथक से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, के संबंध में समय-समय पर जो आदेश दिये गये थे वह विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है अतः ऐसे आदशों का कोई प्रभाव उपभोक्ता के ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का गुण दोषों के आधार पर निराकरण करते समय नहीं होगा। अर्थात् उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत मूल अभ्यावेदन का निराकरण गुण-दोषों के आधार पर किया जायेगा।

10. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष उपभोक्ता ने जो शिकायत की थी और उसके ओर से शिकायत में वर्णित तथ्यों के संबंध में अनावेदक की ओर से जो प्रारंभिक आपत्ति की गई थी ऐसी प्रारंभिक आपत्तियों के संबंध में फोरम द्वारा जो आदेश दिया गया था के आधार पर उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने के लिये मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

- (क) क्या उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत समय बाह्य है?
- (ख) क्या उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार फोरम को प्राप्त है?

### कारणों सहित आदेश इस प्रकार है

11. विचारणीय प्रश्न क्रमांक (क) तथा (ख) का विवेचन:- दोनों विचारणीय प्रश्न पारस्परिक रूप से संबंधित है तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो अतः उनका विवेचन एक साथ किया जाता है। उभयपक्ष की ओर से जो जानकारी प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार मिनी स्टील प्लान्ट तथा रोलिंग मिल के संचालन के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्ड (म0प्र0राज्य विद्युत मंडल) से विद्युत उपभोक्ता ने दो पृथक-पृथक संविदायें वर्ष 1989 में की थी उक्त संविदा में निहित शर्तों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत, उपभोक्ता को प्रदान की जाती थी तथा संविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा

विद्युत के व्ययों का भुगतान राज्य विद्युत बोर्ड को किया जाता था। अक्टूबर 98 में अग्नि दुर्घटना के कारण प्लाण्ट जल गया था तथा विद्युत आपूर्ति के लिये स्थापित सब स्टेशन के जल जाने के कारण अक्टूबर 98 से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई थी। मार्च/अप्रैल 99 में विद्युत व्ययों के भुगतान के लिये राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से उपभोक्ता को अंतिम बार देयक जारी किया गया था। उपभोक्ता का प्लाण्ट जल जाने के कारण कंपनी की पुर्ववास योजना (BIFR) प्रारंभ की गई थी। उक्त योजना के प्रारंभ होने के बाद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को कोई देयक जारी नहीं किया गया था। BIFR योजना प्रारंभ होने के पूर्व ही विद्युत देयक की वसूली भू-राजस्व की तरह वसूल की जाने की कार्यवाही राज्य विद्युत बार्ड की ओर से की गई थी परन्तु उक्त राशि की वसूली इस प्रक्रिया के अनुसार ही नहीं की गई थी।

12. विद्युत का उपभोग करने वाली कंपनी की पुनर्वास योजना के लंबित रहने के दौरान इसी योजना के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी से यह जानकारी चाही गई थी कि क्या कंपनी पर कोई बकाया शेष है। कंपनी पर भार की जारकारी चाहे जाने पर 27.10.2010 को अनावेदक की ओर से इस आश्य की जानकारी दी गई थी कि वर्ष 99 में उपभोक्ता कंपनी द्वारा विद्युत देयाकों का भुगतान नहीं किया गया था और भुगतान न किये जाने के कारण उक्त राशि कंपनी पर बकाया है।

13. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिस समय उपभोक्ता कंपनी ने विद्युत आपूर्ति के लिये राज्य विद्युत बोर्ड से संविदा की थी उस समय भारतीय विद्युत नियम, 2003 प्रभावशील नहीं था। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील न होने के कारण विद्युत का उपभोग करने वाले कंपनी तथा विद्युत की आपूर्ति करने वाले राज्य विद्युत बार्ड के मध्य किसी विवाद का निराकरण दोनों पक्षों के मध्य संपादित संविदा की शर्तों के अनुसार तत्समय प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता था, परन्तु उभय पक्ष ने ऐसे देयक के संबंध में कोई विवाद तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार किया हो ऐसा उपलब्ध तत्यों से साबित नहीं होता है।

14. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वर्ष 99 में जो देयक उपभोक्ता पर शेष था उस राशि की वसूली अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार करने में सक्षम थी। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से शोध्य कोई रकम उस तारिख जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध हो गई हो दो वर्ष की कालावधि के पश्चात वसूली किये जाने योग्य नहीं होगी जब तक कि ऐसी राशि को बकाया चार्जेस के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाया गया हो। इस मामले में राज्य विद्युत बार्ड तथा राज्य विद्युत बार्ड का स्थान लेने वाली विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 99 के बाद उपभोक्ता कंपनी को दिये जाने वाले देयक में वर्णित राशि को बकाया चार्जेस के रूप में कभी भी नहीं दर्शाया था, ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नगत राशि को बकाया चार्जेस के रूप में नहीं दर्शाया गया था तब अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी

उक्त राशि को दो वर्ष अवधि समाप्त होने के बाद वसूल करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसान सक्षम नहीं है।

15. विधि के उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को वर्ष 99 में जो देयक जारी किया गया था उसकी वसूली के लिये बकाया चार्जस के रूप में राशि को प्रत्येक माह नहीं दर्शाया गया था। अर्थात् विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने के पूर्व ही राज्य विद्युत बार्ड तथा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित संविदा प्रभावहीन हो गई थी और ऐसी संविदा को पुनर्जीवित करने को कोई कार्य दोनों पक्षों की ओर से नहीं की गई थी। अतः राज्य विद्युत बार्ड के राज्य सरकार में निहित हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत बार्ड के अधिकार और दायित्वों को विद्युत वितरण कंपनी को सौंपे जाने के बाद भी ऐसी कंपनी राज्य विद्युत बार्ड तथा उपभोक्ता के मध्य निष्पादित संविदा के आधार पर विद्युत देयक की वसूली करने के लिये सक्षम होना साबित नहीं होता है।

16. इस मामले में उपभोक्ता ने राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्ष 1999 में दिये गये विद्युत देयक की अंतरवस्तु को गुण-दोषों के आधार पर चुनौती नहीं दी है। उपभोक्ता ने अनावेदक द्वारा उस पर बकाया भार की जानकारी 27.10.2010 को दिये जाने के बाद इस आशय का मामला पेश किया है कि वर्ष 89 में राज्य विद्युत बार्ड से विद्युत आपूर्ति हेतु उसने जो संविदा की थी उस संविदा के अनुसार राज्य विद्युत बार्ड ने उसे विद्युत की आपूर्ति नहीं की थी तथा विद्युत शुल्क के रूप में जो राशि वसूल की गई थी वह संविदा की शर्तों के विपरीत थी अतः राज्य विद्युत बार्ड द्वारा उससे जो राशि वसूल की गई थी, सुरक्षा निधि के रूप में उससे जो राशि जमा कराइ गई थी उस राशि को उसे वापिस दिलाया जाये। आवेदक उपभोक्ता के मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि उसका मामला वर्ष 98 में निष्पादित संविदा पर आधारित है। उपभोक्ता का मामला राज्य विद्युत बार्ड के द्वारा 99 में दिये गये अंतिम विद्युत देयक पर आधारित नहीं है। उपभोक्ता का मामला 27.10.2010 को अनावेदक द्वारा उस पर दिये गये भार की जानकारी से भी संबंधित नहीं है।

17. यह तथ्य साबित है कि उपभोक्ता के विवाद का संबंध राज्य विद्युत बार्ड तथा विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ता के मध्य वर्ष 98 में जो संविदा निष्पादित की गई थी की शर्तों से संबंधित है। राज्य विद्युत बार्ड ने यदि संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया था तथा संविदा की शर्तों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति नहीं की थी अथवा उपभोक्ता से विद्युत का अधिक मूल्य वसूल किया था या स्थायी रूप से विद्युत की आपूर्ति बंद कर देने के बाद उपभोक्ता द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में जमा की गई राशि वापस नहीं की थी, का निराकरण तत्समय प्रचलित विधि तथा उपभपक्ष के मध्य निष्पादित संविदा के शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता था। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तत्समय प्रभावशील नहीं के प्रावधान तत्समय नहीं थे, ऐसी स्थिति में भूतलक्षी प्रभाव से उक्त प्रावधानों को उभय पक्षों के मध्य निष्पादित संविदा के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है।

18. वर्ष 89 में विद्युत का उपभोग करने वाली आवेदक कंपनी तथा विद्युत के प्रदान करने वाले रज्य विद्युत बोर्ड के मध्य जो संविदा हुई थी वह आवेदक के प्लांट में आग लग जाने के कारण वर्ष 99 में प्रभावहीन हो गई थी। वर्ष 99 के बाद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ऐसी संविदा की शर्तों के अनुसार विद्युत की आपूर्ति उपभोक्ता को नहीं की जाती थी तथा उपभोक्ता द्वारा वर्ष 99 के बाद बोर्ड को विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जाता था अर्थात् वर्ष 99 के बाद उपभोक्ता कंपनी तथा राज्य विद्युत बोर्ड के पारस्परिक संबंध समाप्त हो गये थे। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने तक दोनों के संबंध चालू नहीं थे ऐसी स्थिति में विद्युत अधिनियम, 2003 में पारिभाषित उपभोक्ता की परिधि में वर्तमान आवेदक नहीं आता है तथा उसकी शिकायत में वर्णित तथ्यों का निपटारा करने का क्षेत्राधिकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) में पारिभाषित फोरम को प्राप्त नहीं होता है।

19. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी उस शिकायत को फोरम ने इस आधार पर निरस्त किया था कि शिकायत बारह वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है इस कारण वह समय बाह्य है।

20. शिकायत निवारण फोरम का गठन भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गठित किया गया है। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य आयोग द्वारा विनियमित म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता तथा राज्य आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार विद्युत वितरण लायसेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत का निराकरण करने के लिये फोरम की स्थापना की गई है। विधि के उक्त उपबन्धों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके की उपभोक्ता एक निश्चित समय सीमा के बाद अपनी शिकायत फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः फोरम का यह आदेश कि उपभोक्ता की शिकायत समयबाह्य है सुसंगत प्रतीत नहीं होती है।

21. फोरम के आदेश से असंतुष्ट हो कर उपभोक्ता ने विद्युत अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग द्वारा नियुक्त OMBUDS-MAN जिसे विद्युत लोकपाल के नाम से संबोधित किया जाता है के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का विवरण दिया गया था जिन तथ्यों का विवरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में किया गया था। विद्युत लोकपाल में अभ्यावेदन में वर्णित सभी तथ्यों पर विचार करने के पूर्व इस तथ्य पर विचार किया जाना अपेक्षित था कि उपभोक्ता की शिकायत समय बाह्य अथवा नहीं इसके अतिरिक्त फोरम के समक्ष अनावेदक द्वारा उठाई गई अन्य दो प्रारंभिक आपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाता तो इस प्रारंभिक बिन्दु का निराकरण प्रारंभिक स्तर पर किया जा सकता था कि फोरम को प्रश्नगत शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। विद्युत लोकपाल द्वारा इन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था। अनावेदक कंपनी की ओर से भी इस बिन्दु

को प्रभावी ढंग से विद्युत लोकपाल के समक्ष नहीं उठाया गया था। जिसके कारण अनावश्यक यह मामला अब तक लंबित रहा है।

22. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 185 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन इलेक्ट्रिसिटि एक्ट, 1910, इलेक्ट्रिसिटि सप्लाई एक्ट, 1948, इलेक्ट्रिसिटि रेग्यूलेटरी एक्ट 1948 को कुछ प्रतिबन्धों के अधीन निरस्त किया गया है, परन्तु म० प्र० विद्युत सुधार अधिनियम, 2001 अथवा विद्युत की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये म०प्र० राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को प्रभावहीन नहीं किया गया था।

23. आवेदक तथा राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य जो संविदा हुई थी उस संविदा में निश्चित ही यह प्रावधान होगा की उभयपक्ष के मध्य में उत्पन्न होने वाले विवाद का निराकरण किन प्रावधानों के अंतर्गत किसके द्वारा किया जायेगा। उपभोक्ता ने अपनी शिकायत में जिन तथ्यों का विवरण दिया है और जो अनुतोष चाहा है का निराकरण करने के लिये यदि उभयपक्ष के मध्य निष्पादित संविदा में कोई प्रावधान नहीं था तो ऐसे विवाद का निराकरण तत्समय प्रचलित विधि के अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता था। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 175 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त स्वरूप के हैं वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करते हैं। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने के बाद भी उपभोक्ता अपने विवाद का निराकरण तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अनुसार कराने के लिये सक्षम था। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रभावशील होने से उसके ऐसे अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।

24. अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 को अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के प्रभावशील होने की दिनांक को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता और विद्युत की आपूर्ति करने वाली संस्था व्यक्ति के मध्य यदि प्राप्तकर्ता और प्रादाता के संबंध हैं तो अन्य किसी संविदा के होते हुये भी उन पर भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। इस मामले में आवेदक उपभोक्ता तथा राज्य विद्युत बार्ड के पारस्परिक संबंध वर्ष 99 में समाप्त हो गये थे। उनके मध्य विद्युत के उपभोक्ता तथा विद्युत के प्रादाता के संबंध नहीं थे, ऐसी स्थिति में उन पर भारतीय विद्युत अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील नहीं होंगे तथा उनके विवाद का निराकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

25. इस मामले में उपभोक्ता ने विवाद का कारण 2010 में पैदा होना बताया है जब अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ता पर बकाया की जानकारी बैंक को दी थी। इस तथ्य के आधार पर उपभोक्ता ने यह आधार लिया है कि वर्ष 2010 तक उसके तथा अनावेदक के मध्य उपभोक्ता और वितरक के संबंध थे। अतः उसकी शिकायत का निराकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के

अनुसार किया जा सकता है। प्रश्न ये है कि क्या उपभोक्ता का यह आधार विधि के परिप्रेक्ष्य में तर्क संगत है।

26. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य विद्युत बोर्ड की सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात ऐसी सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार और दायित्व राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी अर्थात् वर्तमान अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी को सौंपे गये थे। राज्य विद्युत बोर्ड का देयक आवेदक उपभोक्ता कंपनी पर बकाया था। उक्त देयक में वर्णित राशि को बार्ड उपभोक्ता से वसूल नहीं कर पाया था। अर्थात् उपभोक्ता पर उक्त राशि बकाया थी, परन्तु बोर्ड की जो राशि उपभोक्ता पर बकाया थी उसे वसूल करने का कोई प्रयास अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। यदि उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता तो उसके उक्त अधिकार को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार चुनौती दी जा सकती थी तथा उसका निराकरण उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता था। अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आवेदक उपभोक्ता को वर्ष 2010 में कोई देयक जारी नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में मात्र अनावेदक कम्पनी द्वारा बैंक को उपभोक्ता पर भार की जानकारी देने मात्र से उनके मध्य उपभोक्ता तथा वितरक के संबंध स्थापित नहीं होते हैं तथा आवेदक उपभोक्ता के विवाद का निराकरण भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है।

## निष्कर्ष

27. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि आवेदक उपभोक्ता तथा राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य जो संविदा वर्ष 89 में संपादित हुई थी वह केवल वर्ष 99 तक ही प्रभावशील थी। राज्य विद्युत बार्ड द्वारा यदि संविदा के शर्तों का उल्लंघन किया गया था तो आवेदक उपभोक्ता तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अनुसार ही राज्य विद्युत बोर्ड से अनुतोष प्राप्त कर सकता था। उसके तथा राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य निष्पादित संविदा के प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने तक चालू नहीं थे अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य विद्युत बोर्ड का स्थान लेने वाली सरकारी कंपनी अर्थात् अनावेदक से उपभोक्ता के संबंध स्थापित नहीं होते हैं। अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान आवेदक उपभोक्ता पर लागू नहीं होंगे। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान आवेदक उपभोक्ता पर लागू न होने के कारण उक्त अधिनियम, के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में गठित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को आवेदक उपभोक्ता की शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत की सुनवाई कर जो आदेश दिया था वह क्षेत्राधिकार से बाहर होने से प्रथम दृष्टया शून्य है। फोरम को उपभोक्ता की शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था

अतः उपभोक्ता के अभ्यावेदन को सुनने का क्षेत्राधिकार विद्युत लोकपाल को भी नहीं है। उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत के संबंध में अब तक जो कार्यवाही की गई है वह क्षेत्राधिकार से परे होने से शून्य है अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

28. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो।
29. आदेश की प्रतियां नियमानुसार पक्षकारों को प्रदान की जाये। प्रकरण नस्तिबद्ध किया जाये।

### विद्युत लोकपाल

#### प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

### विद्युत लोकपाल